20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(35)

(1)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. __________ / 2018 निगरानी – 6176/2018/राजगढ़ /भू.रा.

गोविन्ददास मोदानी पुत्र श्री वल्लभदस मोदानी, आयु 78 वर्ष, निवासी-77, पुराना ए.बी. रोड वार्ड नं.11 ब्यावरा जिलाराजगढ़ (म.प्र.)

.........निगरानीकर्ता

-विरुद्ध-

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी ब्यावरा, जिलाराजगढ़ (म.प्र.)
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यांवरा जिलाराजगढ़ (म.प्र.)
3. अनुविभागीय अधिकारी (पी.डब्लू.डी. पथ एवं भवन) राजगढ़ जिलाराजगढ़ (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर राजगढ़ जिलाराजगढ़

........अनावेदकगण

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल 25-10-18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश 4.6.2018 प्रकरण क्र. 54 B-12/2017-18 पारित द्वारा कलेक्टर राजगढ़ एवं आदेश/ सूचना पत्र दिनांक 7.6.2018 प्रकरण क्र. 1572/2018 पारित द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका ब्यावरा जिलाराजगढ़.

श्रीमान,

आवेदक का निगरानी आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत है:

1. यह कि, आवेदक के स्वत्व व स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक भवन नं. 77 वार्ड नं.11 (पुराना वार्ड नं.8) ए.बी. रोड ब्यावरा पर स्थित है जो 100 वर्ष से अधिक पुराना है जिसकी चतुर्सीमा उत्तर में 20 फीट 5 इंच, दक्षिण में 18 फीट 6 इंच, पश्चिम में 20 फीट 6 इंच एवं पूरब में 20 फीट 6 इंच है। उक्त भवन आवेदक के पूर्वजों ने पूर्व

CamScanner

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक निगरानी– 6176/2018/राजगढ़/भू.रा.

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
6/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर राजगढ़ के प्र.क. 54 बी–12/17–18 में पारित आदेश दिनांक 4–6–18 के विरूद्व है। कलेक्टर राजगढ़ व्दारा पारित आदेश अंतिम स्वरूप का आदेश है जिसके विरूद्व अपील/निगरानी संभागीय आयुक्त को होगी। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नहीं है। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय से न्याय पाने हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। सदस्य	